**लोकायुक्त कार्यालय,**
**4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1**

---

**पत्रांक :–3/लोक(स्था0) 62/18–** 1077 **/लोक, पटना–1 दिनांक** 22/11/18

प्रेषक,

अपर सचिव–सह–सचिव (प्रभारी)
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार,
पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दैनिक सामाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है । इस संबंध में विज्ञापित होने वाली सूचना एतद्सह संलग्न है । अतः, अनुरोध है कि संलग्न सूचना राज्य के कम–से–कम दो प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय ।

**अनु0–यथोक्त (दो पृष्ठ)।**
**एवं सी0डी0**

विश्वासभाजन,

22/11/18

अपर सचिव–सह–सचिव (प्रभारी)
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार,
पटना

## विज्ञापन सं0— 4/2018

## लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में रिक्त पुलिस उपाधीक्षक के 01 (एक) पद पर संविदा के आधार पर पर नियोजन हेतु निम्नांकित शर्त्तों के अधीन विहित–प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

1. **पात्रता :–** अनुभवी एवं सक्षम सी0बी0आई0 अथवा निगरानी विभाग से सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी।
2. **उम्र सीमा :–** 01.01.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी।
3. **कोटि–** अनारक्षित ।
4. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।
5. संविदा पर नियोजन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक तथा इसके पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा।
6. निम्नांकित कोटि के कर्मियों को नियोजन नहीं किया जा सकेगा :–

   (i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो ।

   (ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो ।

   (iii) जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो ।

   (iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो ।

   (v) जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं है ।
7. उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन सी0बी0आई0 अथवा निगरानी विभाग से सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर 4, कौटिल्य मार्ग पटना–1 स्थित लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में जमा कर सकते हैं ।

ह0/–

लोकायुक्त के अपर सचिव–सह–सचिव (प्रभारी)

## नियोजन हेतु विहित आवेदन का प्रारूप

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम :–

मोबाईल संख्या–

E mail I.D.

| |
|---|
| रंगीन<br>फोटो<br>(पासपोर्ट साईज) |

2. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :–
5. वर्तमान पता :–
6. स्थायी पता :–
7. नियुक्ति की तिथि :–
8. विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुए है :–
9. (i) पदनाम :–

   (जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं)

   (ii) उक्त पद पर कुल सेवावधि :–
10. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं
11. कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)–

स्थान :

तिथि : आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– (i) विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष सुरक्षित रहेगा ।

(ii) किसी भी विवाद का निपटारा माननीय अध्यक्ष, बिहार लोकायुक्त कार्यालय, पटना के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा ।